

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

मुकाम रायसिंहनगर

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

सरकार

मो. लाल SPPR

बनाम

नम्बर 188 सन् 2021

किरम मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जौं इस हुकम की तामील में जारी किए
28/11/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>गोपालिंद्र प्रसाद</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/832403 दिनांक 28/11/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>शक्तिपुर</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>SPPR</u> की जमाबंदी सम्बत् 2026-2028 के खाता सं. 84 में <u>S.P.P.R. शाखा गवर्किंद्र प्रसाद</u> के स्थान पर <u>S.P.P.R. शाखा गवर्किंद्र प्रसाद</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशांषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>गोपालिंद्र प्रसाद</u> रायसिंहनगर की अनुशांषा के आधार पर वाके चक <u>SPPR</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत् 2026-2028 के खाता सं. 84 में <u>S.P.P.R. शाखा गवर्किंद्र प्रसाद</u> के स्थान पर <u>S.P.P.R. शाखा गवर्किंद्र प्रसाद</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी

रायसिंहनगर

कैम्प - 28/11/21

